[1][Rule 96A : [2][Export] of goods or services under bond or Letter of Undertaking

(1) Any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish, prior to export, a bond or a Letter of Undertaking in **FORM GST RFD-11** to the jurisdictional Commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under sub-section (1) of section 50 within a period of –

(a) fifteen days after the expiry of three months, [3]**[**or such further period as may be allowed by the Commissioner,**]** from the date of issue of the invoice for export, if the goods are not exported out of India; or

(b) fifteen days after the expiry of one year, or such further period as may be allowed by the Commissioner, from the date of issue of the invoice for export, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange [4]**[**or in Indian rupees, wherever permitted by the Reserve Bank of India**]**.

(2) The details of the export invoices contained in **FORM GSTR-1** furnished on the common portal shall be electronically transmitted to the system designated by Customs and a confirmation that the goods covered by the said invoices have been exported out of India shall be electronically transmitted to the common portal from the said system:

[5]**[Provided that** where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in **Table 6A of FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.**]**

(3) Where the goods are not exported within the time specified in sub-rule (1) and the registered person fails to pay the amount mentioned in

---

1 Rule 96A inserted by N. N. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

2 Substituted for "Refund of integrated tax paid on export" by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

3 Inserted by Noti. No. 47/2017–Central Tax, dt. 18-10-2017 w.e.f. 18-10-2017.

4 Inserted by Noti. No. 03/2019-Central Tax, dt. 29-01-2019 w.e.f. 01-02-2019.

5 Provisos inserted by Noti. No. 51/2017–Central Tax, dt. 28-10-2017 w.e.f. 28-10-2017.

the said sub-rule, the export as allowed under bond or Letter of Undertaking shall be withdrawn forthwith and the said amount shall be recovered from the registered person in accordance with the provisions of section 79.

(4) The export as allowed under bond or Letter of Undertaking withdrawn in terms of sub-rule (3) shall be restored immediately when the registered person pays the amount due.

(5) The Board, by way of notification, may specify the conditions and safeguards under which a Letter of Undertaking may be furnished in place of a bond.

(6) The provisions of sub rule (1) shall apply, *mutatis mutandis*, in respect of zero-rated supply of goods or services or both to a Special Economic Zone developer or a Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.**]**

[1][नियम 96क : बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन माल या सेवाओं [2][का निर्यात]

(1) एकीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय के विकल्प का उपभोग करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, निर्यात से पहले, अधिकारिता आयुक्त को,–

(क) यदि माल का भारत के बाहर निर्यात नहीं किया जाता है तो निर्यात के लिए बीजक जारी करने की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् [3]**[**या ऐसी अतिरिक्त अवधि जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जा सकेगी,] पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर; या

(ख) यदि निर्यातकर्ता को यदि ऐसी सेवाओं का भुगतान संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में [4]**[**या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुज्ञात किया जाए**]** प्राप्त नहीं होता है तो एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जो आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए,

धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज के साथ देय कर का संदाय करने के लिए स्वयं को बाध्यकर बनाने हेतु **प्ररूप जीएसटी आरएफडी–11** में बंधपत्र या परिवचन पत्र देगा।

(2) सामान्य पोर्टल पर दिए गए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में अंतर्विष्ट निर्यात बीजकों के ब्यौरें इलैक्ट्रोनिक रूप से सीमा शुल्क द्वारा अभिहित सिस्टम को पारेषित किए जाएंगे और यह संपुष्टि कि उक्त बीजकों के अंतर्गत आने वाला माल का भारत से बाहर निर्यात किया गया है, इलैक्ट्रानिक रूप से, उक्त सिस्टम से सामान्य पोर्टल को पारेषित की जाएगी।

[5]**[परन्तु** यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर–1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर–3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर–1** में स्वतः प्रारूपित की जाएगी।**]**

(3) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर माल का निर्यात नहीं किया जाता है और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उप–नियम में उल्लिखित रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां बंधपत्र या परिवचनपत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को तुरंत वापस ले लिया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से, धारा 79 के उपबंध के अनुसार उक्त रकम की वसूली की जाएगी।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा नियम 96क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा ''के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर का प्रतिदाय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

3 अधिसूचना क्रमांक 47/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 18.10.2017 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 18.10.2017)।

4 अधिसूचना क्रमांक 3/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.02.2019)।

5 पहले अधिसूचना क्रमांक 51/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 28.10.2017 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 28.10.2017)।

(4) उप–नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुज्ञात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा।

(5) बोर्ड, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगें।**]**